न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0–13/2018-19

अरूण कुमार पिता राजा राम कश्यप – **अपीलकर्त्ता**
ग्राम–अशोक कुंज, पोस्ट–अशोक नगर, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची।
वर्तमान पता– ग्राम–बिनगाँव, थाना–कर्रा।

बनाम्

अंचल अधिकारी, कर्रा – **विपक्षी**

आदेश

13.10.18

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–916R27/17-18 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.18 के विरूद्ध दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
बिनगाँव	कर्रा 132	01	156	0.42
		01	167	0.50
				0.92

आवेदक कथन करते है कि उन्होने उपरोक्त भूमि पंजीकृत बिक्रि केवाला सं0 106 दिनांक 31.01.2012 से क्रय की है। उपरोक्त केवाला पट्टे के निष्पादन कर्त्ता रविंद्र सिंह पिता स्व0 बैजू सिंह उर्फ बैजनाथ राय है। विक्रेता की माँ स्व0 जानकी देवी ने उपरोक्त भूमि रजिस्ट्री बिक्रि पट्टा सं0 5556 दिनांक 10.07.1996 एवं 1855 दिनांक 06.03.1997 से प्राप्त की है एवं जीवन पर्यन्त शांतिपुर्ण दखलकार रही है। जानकी देवी के मृत्योपंरात उपरोक्त भूमि आपसी बंटवारे में विक्रेता अपने हिस्से में आई और विक्रेता अपने हिस्से की भूमि बिक्रि की है। उपरोक्त क्रय के पश्चात् आवेदक भूमि पर शांतिपुर्वक दखलकार है।

अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2018 में बिक्रेता ने अपनी माँ जानकी देवी द्वारा क्रय की भूमि को बिक्री किये है। जानकी देवी द्वारा जमीन क्रय करने के पश्चात दाखिल खारिज नहीं की गयी है जिसके कारण उनके नाम से पंजी–II में जमाबंदी कायम नही है। इस परिस्थति में दाखिल खारिज करना उचित प्रतीत नही होता हैं।

इस संबंध में सभी दावेदारों को नाटिस निर्गत किया गया जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। शपथ पत्र संख्या 306 दिनांक 17.07.18 द्वारा किसी प्रकार की आपति नहीं किये जाने संबंधी बातें कही गयी है।

आवेदक पुनः कथन करते हैं कि अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदक को सुने बिना उपरोक्त आदेश पारित किया है जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के विरूद्ध हैं।

अंचल अधिकारी, कर्रा ने सिर्फ कर्मचारी एवं अंचल के प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त आदेश पारित किया है। उपरोक्त प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं है, हल्का कर्मचारी ने दखल के संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है जो दर्शाया कि भूमि आवेदक दखल में नहीं है और किसी अन्य के दखल में है। अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश तथ्य एवं विधि विरूद्ध हैं।